मुख्य सचिव की अध्यक्षता में दिनांक–22.01.2015 को अपराह्न 4.00 बजे मुख्य सचिवालय के सभा कक्ष में सम्पन्न Empowered Committee (C.W.J.C./M.J.C./ L.P.A/S.L.P.) से संबंधित समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही:-

बैठक के प्रारंभ में मुख्य सचिव द्वारा सभी प्रधान सचिव/सचिव को सम्बोधित करते हुये बताया गया कि यह बैठक विशेष रूप से सभी विभागों में लम्बित C.W.J.C./M.J.C./L.P.A/S.L.P. मामलों के त्वरित निष्पादनार्थ आहूत की गई है। यह भी बताया गया कि मुख्यत: सेवान्त लाभ, पेंशन एवं प्रोन्नति से संबंधित मामले लम्बित रहने के कारण ही मामला न्यायालय में जाता है। अत: सभी प्रधान सचिव/सचिव अपने विभाग की साप्ताहिक समीक्षा कर लम्बित मामलों में ससमय (चार सप्ताह के अन्दर) प्रतिशपथ–पत्र/ कारणपृच्छा दाखिल करने की कारवाई सुनिश्चित करें।

2. मुख्य सचिव, बिहार द्वारा बैठक में सभी विभागों में अबतक कुल लंबित CWJC/MJC मामलों पर चर्चा किया गया। CWJC के कुल लंबित मामलों में विगत माह की तुलना में इस माह माननीय न्यायालय में दाखिल एवं निस्तारित मामलों में तकरीबन 200 मामलों में वृद्धि पर मुख्य सचिव, बिहार द्वारा चिंता व्यक्त किया गया एवं यह निर्देश दिया गया कि जितने मामले नये दायर हो उससे ज्यादा मामलों को निष्पादित कराये जाने का लक्ष्य सभी विभागों का होना चाहिए तभी लंबित मामलों की संख्या में कमी लाया जा सकता है। इसी प्रकार MJC के कुल लंबित मामलों में 400 वादों की कमी आने पर संतोष व्यक्त किया गया।

3. मुख्य सचिव, बिहार द्वारा बैठक में लंबित CWJC/MJC मामलों में प्रतिशपथ–पत्र दायर करने के मामले में पाँच सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले विभागों पर चर्चा किया गया। इनमें ऊर्जा विभाग, समाज कल्याण विभाग, शिक्षा विभाग, खाद्य एवं उपभोक्ता विभाग शामिल है। इनके द्वारा प्रतिशपथ–पत्र/कारणपृच्छा दायर करने के प्रति इनके प्रयासों की मुख्य सचिव, बिहार द्वारा सराहना किया गया।

4. मुख्य सचिव, बिहार द्वारा प्रतिशपथ–पत्र/कारणपृच्छा दायर करने के मामले में पाँच असंतोषजक प्रदर्शन करने वाले विभागों पर भी चर्चा किया गया। इनमें राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, स्वास्थ्य विभाग, पर्यावरण एवं वन विभाग, पंचायती राज विभाग, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग शामिल हैं। इन विभागों को लंबित मामलों में शीघ्रतापूर्वक प्रतिशपथ–पत्र/कारणपृच्छा दायर करने का निर्देश दिया गया।

5. बैठक में मुख्य सचिव, बिहार के द्वारा राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के प्रदर्शन पर चिंता व्यक्त किया गया। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के द्वारा अपने यहाँ इस माह में लंबित CWJC/MJC के एक भी मामले में कारणपृच्छा/प्रतिशपथ–पत्र दायर नही किया गया। लंबित वादों में कारणपृच्छा/प्रतिशपथ–पत्र दायर करने हेतु शीघ्रता से ठोस कदम उठाये जाने का निर्देश दिया गया।

6. मुख्य सचिव, बिहार के द्वारा बैठक में स्वास्थ्य विभाग के कारणपृच्छा/प्रतिशपथ–पत्र दायर करने हेतु असंतोषजनक प्रदर्शन पर भी चिंता व्यक्त किया गया। सभी विभागों में प्रतिशपथ–पत्र/कारणपृच्छा दायर करने हेतु लंबित मामलों में सर्वाधिक मामले स्वास्थ्य विभाग में ही लंबित है। प्रतिशपथ–पत्र/कारणपृच्छा दायर करने के मामले में स्वास्थ्य विभाग का प्रदर्शन लगातार चिंतनीय रहा है। लंबित मामलों में शीघ्र ही कोई आवश्यक कदम उठाने का दिशा निर्देश मुख्य सचिव, बिहार द्वारा स्वास्थ्य विभाग को दिया गया।

7. बैठक में मुख्य सचिव, बिहार के द्वारा इस बात पर भी चर्चा किया गया कि मुख्य रूप से कुछ विभागों में ही लंबित मामलों की संख्या सर्वाधिक है। इनमें से शिक्षा विभाग के द्वारा अपने सराहनीय प्रदर्शन के कारण अपने यहाँ लंबित मामलों की संख्या में काफी कमी लाया गया है। इसी प्रकार के प्रयास सभी विभाग करें ऐसा निर्देश सभी विभागों को मुख्य सचिव, बिहार द्वारा दिया गया।

8. बैठक में मुख्य सचिव, बिहार द्वारा वैसे विभागों को जहाँ CWJC/MJC के दस (10) से कम मामले लंबित है। उन्हें केवल अपना प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया।

9. मुख्य सचिव, बिहार के द्वारा सभी विभागों के प्रधान सचिव/सचिव को यह निर्देश दिया गया कि वे अपने विभागों में प्रतिशपथ-पत्र/कारणपृच्छा दायर करने हेतु अधिवक्ताओं का पैनल गठित कर शीघ्र अपने यहाँ लंबित मामलों में प्रतिशपथ-पत्र/कारणपृच्छा दायर करने की कारवाई करें।

सधन्यवाद बैठक की कार्रवाई समाप्त हुई।

30/1/15

(अंजनी कुमार सिंह)
मुख्य सचिव, बिहार।

बिहार सरकार

विधि विभाग

ज्ञापांक-याचिका-ए0-109/2013/...798...**जे0** **पटना, दिनांक-**...04.02-15...

प्रतिलिपि:- सभी विभागीय प्रधान सचिव/सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(अखिलेश कुमार जैन)
सरकार के सचिव, बिहार।

ज्ञापांक-याचिका-ए0-109/2013/...798...**जे0** **पटना, दिनांक-**...04.02-15...

प्रतिलिपि:- मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव/सचिव, विधि विभाग के आप्त सचिव/आई0 टी0 प्रबन्धक, विधि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

3/1/15

(अखिलेश कुमार जैन)
सरकार के सचिव, बिहार।